न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3426–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–7–2012 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा अपील प्रकरण कमांक 20/अ–6/11–12

जीवनसिंह पिता इमरतलाल भिलाला,
निवासी ग्राम काल्याखेडी, तहसील सिवनी
मालवा, जिला होशंगाबाद म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 दयाराम पिता राधेलाल भिलाला,
निवासी ग्राम काल्याखेडी, तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद
2 कमलसिंह पिता इमरतलाल भिलाला,
निवासी ग्राम काल्याखेडी, तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद

.....अनावेदकगण

श्री जी0 वी0 यादव अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 पी0 यादव अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 28 जनवरी, 2015)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश 24–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 दयाराम द्वारा नायब तहसीलदार, सिवनी मालवा के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम काल्याखेड़ी तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद स्थित सर्वे कमांक 238 रकबा 8 एकड़ है । उसके द्वारा सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। सीमाकंन के समय ज्ञात हुआ है कि नक्शे में प्रश्नाधीन भूमि करीब 6 एकड़ भूमि दर्शाई गई है, जबकि मौके पर 8 एकड़ भूमि है, जो कि राजस्व अभिलेख में भी दर्ज है । पटवारी द्वारा किये गये सीमाकंन में 2 एकड़ भूमि आवेदक के कब्जे में पाई गई है, अतः नक्शे में सुधार कर 8 एकड़ भूमि दर्ज की जायें । इसी प्रकार अनावेदक कमांक 1 दयाराम द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर होशंगाबाद के समक्ष भी नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र पर कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाकर अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–7–2012 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–1–2012 निरस्त करते हुये अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र कमांक 749/रीडर/कलेक्टर होशंगाबाद दिनांक 25–3–2011 की जांच कर प्रतिवेदन विधि अनुसार प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह प्रकरण नक्शा दुरूस्ती से संबंधित है और नक्शा दुरूस्ती संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत नहीं की जा सकती है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने जो निर्देश नायब तहसीलदार को दिये है वे विधि विपरीत

होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के आवेदन पत्र पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश देने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि नक्शा दुरूस्ती की पृथक प्रक्रिया है जिसके लिये कलेक्टर ही सक्षम अधिकारी है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी त्रुटि की मात्र जानकारी ही प्राप्त हो गई है तब उक्त त्रुटि सुधार में किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है, उक्त समस्त कार्य शासन पक्ष द्वारा किया जाता है । इस प्रकरण में इस अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, चूँकि यह प्रकरण कोई बंटवारे का प्रकरण नहीं है अथवा ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें स्वत्व का निर्धारण होना हो इस प्रकार के प्रकरण जिनमें सीमाकंन अथवा धारा 250 की कार्यवाही भी सम्मिलित है के लिए कोई एक भूमिस्वामी अथवा सहखातेदार अथवा उनका हितप्रतिनिधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें कोई विधिक अवरोध नहीं है । इस स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत आधार व आपत्ति निराधार है ।

(2) जहां तक नायब तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश देने संबंधी तथ्य है इस संबंध में तर्क है कि पूर्व से ही आवेदन पत्र कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया था, वही प्रकरण जांच हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार सिवनी मालवा के समक्ष लंबित था, तब नायब तहसीलदार सिवनी मालवा को इस प्रकार गैरकानूनी निष्कर्ष देकर आवेदन पत्र निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था अस्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की गई है तथा प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने योग्य है ।

(3) धारा 107 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में स्पष्ट प्रावधान है जिसके तहत खेत का नक्शा ठीक किया जाता है, जिसे ठीक किए जाने हेतु कलेक्टर को अनन्य अधिकारिता प्राप्त है । जहां तक धारा 115 एवं 116 का प्रश्न है उसमें अभिलेख की अन्य त्रुटियां ठीक

की जाती है, लेकिन इसमें फील्ड नक्शा कवर नहीं होता है, नक्शे को धारा 107 में ही ठीक कराया जाता है । धारा 115 एवं 116 के आवेदन हेतु 1 साल की समय सीमा है, लेकिन धारा 107 में कोई समय सीमा नहीं है न ही समय सीमा का कोई बंधन है । इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जानकारी के अभाव में भी समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन आवेदक द्वारा मात्र गुमराह करने के लिए इस संबंध में अभिवचन किए गए है ।

(4) आवेदक द्वारा सीमाकंन आदि के समय हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं दिए जाने संबंधी मुद्दा उठाया है, वह इस स्तर पर कोई महत्व नहीं रखता । आवेदक मात्र प्रकरण को लंबित रखना चाहते है, क्योंकि उक्त समस्त आपत्तियॉ उठाने का सबसे अच्छा समय कलेक्टर के समक्ष जब प्रकरण में सुनवाई होगी तब है, और आवेदक एवं अन्य जो भी व्यक्ति है वह आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । अभी मात्र विषय यह है कि कलेक्टर द्वारा खसरा नंबर 238 रकबा 8 एकड़ का नक्शा अभिलेख में सही है या नहीं की जांच कराई जा रही है । आवेदक इस प्रकार की आपत्तियॉ करते हुए, उक्त जांच को सफल होने नहीं देना चाहता तथा उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जो एक अवैधानिक कृत्य है । उसी अनुक्रम में यह विधि विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जायेगी निगरानी नहीं ।

5/ प्रति उत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जो अंतरिम प्रकृति का आदेश है, जिसके विरूद्ध निगरानी ही होगी ।

6/ अनावेदक क्रमांक 2 की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि नक्शा दुरूस्ती हेतु अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और कलेक्टर द्वारा जांच कर

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया है । संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा दुरूस्ती हेतु कलेक्टर ही सक्षम अधिकारी है और नक्शा दुरूस्ती करने के पूर्व सम्यक जांच कराना विधिक प्रकिया है, अतः कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश देने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश देने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि नक्शा दुरूस्ती का अधिकार कलेक्टर को ही है । कारण जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि नक्शा दुरूस्ती हेतु मौके पर जांच किया जाना विधिक प्रकिया है और उक्त जांच तहसीलदार द्वारा ही की जा सकती है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के निर्देशों के पालन में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करते हुये अपने स्तर से ही प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाकर अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि जहां विधि विपरीत कार्यवाही है वही क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही भी है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत नक्शे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष भी नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही करते हुये जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश नायब तहसीलदार को दिये गये है । अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रत्यावर्तन आदेश है, जो कि अंतिम आदेश की परिधि में नहीं आता है, इसलिये

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में ही निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर